| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>निगरानी/एल आर/10945/2000/अलवर<br>सुरजभान(मृतक) जरिए वारिसान मु0शान्ति देवी व अन्य बनाम पप्पू | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

**एकलपीठ**

**डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर, सदस्य**

**उपस्थित**

श्री हेमंत सौगानी, अभिभाषक प्रार्थी ।

अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित।

**निर्णय**

दिनांक 2–1–2024

1– यह निगरानी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 84 के अन्तर्गत अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–4–2000 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम लुहारिया के नामान्तरकरण संख्या 505 द्वारा खातेदार श्रीराम, जलसिंह, रामावतार, बस्तीराम, लक्ष्मण, पप्पू पिता सोहन हिस्सा 1/3 व रामशरण पुत्र मोहरिया हिस्सा 1/3 धनपति पुत्री रामचन्द्र हिस्सा 1/3 अहीर के स्थान पर जरिये राजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11–9–1979 से बेचान किये जाने पर बहक किशनलाल पुत्र श्योसहाय यादव हिस्सा 1/2 का खोला गया। इसी प्रकार नामांतरकरण संख्या 506 द्वारा खातेदार श्रीराम, जलसिंह, रामावतार, बस्तीराम, लक्ष्मण पप्पू पिता सोहन हिस्सा 1/3 व रामशरण पुत्र मोहरिया हिस्सा 1/3 धनपति पुत्री रामचन्द्र हिस्सा 1/3 अहीर के स्थान पर जरिये राजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11–9–1979 से बेचान किये जाने पर बहक सुरजभान पुत्र हेमकरण याद हिस्सा 1/2 का खोला गया। जिसे नायब तहसीलदार, तिजारा ने अपने आदेश दिनांक 19–7–1993 द्वारा स्वीकृत कर दिया। इन दोनों नामांतरकरणों से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी/अप्रार्थी द्वारा प्रथम अपील अतिरिक्त कलक्टर, अलवर के समक्ष प्रस्तुत की। जिन्होंने अपने आदेश दिनांक 13–1–1998 द्वारा अपीलार्थी/अप्रार्थी की अपील स्वीकार कर नायब तहसीलदार, तिजारा का आदेश दिनांक 19–7–1993 निरस्त कर दिया। उक्त आदेश दिनांक 13–1–1998 से असंतुष्ट होकर प्रार्थी द्वारा द्वितीय अपील अतरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर ने अपने आदेश दिनांक 21–4–2000 द्वारा प्रार्थी की अपील अस्वीकार कर दी। उक्त आदेश दिनांक 21–4–2000 से व्यथित होकर यह निगरानी

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>निगरानी / एल आर / 10945 / 2000 / अलवर<br>सुरजभान(मृतक) जरिए वारिसान मु0शान्ति देवी व अन्य बनाम पप्पू | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।<br>3— प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत है । उनका कथन है कि प्रार्थी ने भूमि विवादग्रस्त दर्ज कृषक से पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है। पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर तस्दीक किये गये नामांतरकरण को निरस्त करने में अधीनस्थ न्यायालय ने अनियमितता की है। अधीनस्थ न्यायालयों ने अप्रार्थीगण का विवादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई अधिकार न होने के बावजूद भी नामांतरकरण निरस्त कर दावे में अंतिम निर्णय होने तक कार्यवाही स्थगित रखे जाने का आदेश पारित किया है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर, अलवर के समक्ष अप्रार्थीगण ने जो अपील प्रस्तुत की वह मियाद बाहर अपील थी। अपील को बिना किसी आधार के अन्दर मियाद मानने का आदेश पारित करते हुए अतिरिक्त जिला कलेक्टर, अलवर ने दिनांक 13—1—1998 का निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर, अवलर के आदेश को बहाल रखे जाने का आदेश पारित किया है। विवादग्रस्त भूमि में विक्रेता मोहरिया पुत्र रूड़ा यादव के जो अधिकार थे, वे विक्रय पत्र के पंजीकरण होने के साथ ही समाप्त हो गये। तथाकथित उत्तराधिकार में अप्रार्थीगण को किसी प्रकार के कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। अतः निगरानी स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21—4—2000 तथा अतिरिक्त कलक्टर, अलवर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13—1—1998 निरस्त किये जावे।<br>4— हमने प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं निगराधीन आदेश का अवलोकन किया।<br>5— पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि ग्राम लुहाडिया के नामांतरकरण संख्या 506 द्वारा खातेदार श्रीराम, जलसिंह, रामावतार, बस्तीराम, लक्ष्मण पप्पू पिता सोहन हिस्सा 1/3 व रामशरण पुत्र मोहरिया हिस्सा 1/3 धनपति पुत्री रामचन्द्र हिस्सा 1/3 अहीर के स्थान पर जरिये राजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11—9—1979 से बेचान किये जाने पर बहक सुरजभान पुत्र हेमकरण याद हिस्सा 1/2 का खोला गया। जिसे नायब तहसीलदार, तिजारा ने अपने आदेश दिनांक 19—7—1993 द्वारा स्वीकृत कर दिया।<br>इसी प्रकार ग्राम लुहारिया के नामान्तरकरण संख्या 505 द्वारा खातेदार श्रीराम, जलसिंह, रामावतार, बस्तीराम, लक्ष्मण पप्पू पिता | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>निगरानी/एल आर/10945/2000/अलवर<br>सुरजभान(मृतक) जरिए वारिसान मु0शान्ति देवी व अन्य बनाम पप्पू | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | सोहन हिस्सा 1/3 व रामशरण पुत्र मोहरिया हिस्सा 1/3 धनपति पुत्री रामचन्द्र हिस्सा 1/3 अहीर के स्थान पर जरिये राजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11–9–1979 से बेचान किये जाने पर बहक किशनलाल पुत्र श्योसहाय यादव हिस्सा 1/2 का खोला गया।<br>उक्त आदेश की प्रथम अपील अप्रार्थी द्वारा अतिरिक्त कलेक्टर, अलवर के यहां प्रस्तुत की जिसे उन्होंने दिनांक 13–1–98 से स्वीकार कर नायब तहसीलदार, तिजारा का आदेश दिनांक 19–7–93 निरस्त कर दिया जिसके विरूद्ध दो अपीलें किशनलाल व सूरजभान द्वारा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ,जयपुर के समक्ष अपील संख्या 11/98 सूरजभान बनाम पप्पू व अपील संख्या 12/98 किशनलाल बनाम पप्पू प्रस्तुत की । अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 21–4–2000 द्वारा अपील खारिज कर अतिरिक्त कलेक्टर का निर्णय यथावत रखा । उक्त आदेश के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की ।<br>6– यहॉ यह उल्लेखनीय है कि अपील संख्या 12/98 उनवानी किशनलाल बनाम पप्पू में पारित निर्णय दिनांक 21–4–2000 के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी संख्या 47/2000 का निर्णय दिनांक 25–11–2005 को किया जाकर निगरानी स्वीकार कर अतिरिक्त कलेक्टर, अलवर का निर्णय दिनांक 13–1–98 एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर का निर्णय निरस्त किया जा चुका है । उक्त निर्णय दिनांक 25–11–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत नजरसानी संख्या 7891/2006 उनवानी रामकला बनाम किशनलाल, पप्पू दिनांक 22–8–2008 से खारिज की जा चुकी है । इस प्रकार राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25–11–2005 अब अंतिम हो चुका है । इसी आधार पर अब इस निगरानी का निस्तारण किया जा रहा है ।<br>7– पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि ग्राम लुहाडिया के नामांतरकरण संख्या 506 द्वारा खातेदार श्रीराम, जलसिंह, रामावतार, बस्तीराम, लक्ष्मण पप्पू, पिता सोहन हिस्सा 1/3 व रामशरण पुत्र मोहरिया हिस्सा 1/3 धनपति पुत्री रामचन्द्र हिस्सा 1/3 अहीर के स्थान पर जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11–9–1979 से बेचान किये जाने पर बहक सुरजभान पुत्र हेमकरण याद हिस्सा 1/2 का खोला गया। जिसे नायब तहसीलदार, तिजारा ने अपने आदेश दिनांक 19–7–1993 द्वारा स्वीकृत कर दिया। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि खातेदार मोहरिया से जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र क्रय की किन्तु बाद में इस भूमि के संबंध में अप्रार्थीगण द्वारा एक वाद सहायक कलेक्टर, तिजारा के | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>निगरानी / एल आर / 10945 / 2000 / अलवर<br>सुरजभान(मृतक) जरिए वारिसान मु0शान्ति देवी व अन्य बनाम पप्पू | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | न्यायालय में प्रस्तुत किया । इस दावे को दृष्टिगत रखते हुए दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने नामान्तरकरण की कार्यवाही को लम्बित रखने के आदेश दिए है जो उचित नहीं हैं। क्योंकि प्रार्थी ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर भूमि को विधिवत एवं कानूनी प्रावधानों के अनुसार क्रय किया है । यदि पंजीकृत विक्रय पत्र के अनुसरण में नामान्तरकरण तस्दीक नहीं किए गए जाते तो स्थिति दूसरी होती एवं नामान्तरकरण न्यायालय के निर्णय तक नहीं खोलने के आदेश दे सकता था किन्तु यदि अब नामान्तरकरण खोले जाकर तस्दीक कर दिए हैं, जो उन्हें केवल वाद लम्बित होने के कारण निरस्त नहीं किया जाना चाहिए था । यदि विचाराधीन वाद में अंतिम रूप से कोई विपरीत निर्णय होगा तो न्यायालय के निर्णय व डिक्री के अनुसार तदनुसार कार्यवाही सम्पादित होगी ।<br>8– उक्त वर्णित समस्त तथ्यों एवं कानूनी प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए यह निगरानी स्वीकार की जाती है । अतिरिक्त कलेक्टर, अलवर का निर्णय दिनांक 13–1–98 एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर का निर्णय दिनांक 21–4–2000 निरस्त किया जाता है ।<br>निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।<br><br>(डॉ0श्रवणकुमार बुनकर)<br>सदस्य | |